IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

Misc.-05/2005 (F.D-72/2003)

NITYANAND SINGH & OTHERS .....APPLICANTS
Vs.
RAJESHWAR SINGH & OTHERS.....RESPONDENTS

ORDER

04.03.22 फाइनल डिक्री वाद 72/2003 में दाखिल विविध वाद 05/2005, अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना।

प्रस्तुत विविध वाद में आवेदकगण का कथन है कि विपक्षी प्रथम पक्ष ने एक विभाजन वाद 72/2003 श्रीमान् के न्यायालय में वादपत्र में उल्लिखित सम्पत्ति के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें अपने मेली प्रतिवादी विपक्षी सं0–07 के पति एवं विपक्षी सं0–8 से 10 तथा 14 से 19 को उपस्थित कराकर प्रतिवादपत्र दाखिल कराया तथा आवेदकगण एवं प्रतिवादी षष्टम पक्ष के विरुद्ध समाचारपत्र में वाद की सूचना प्रकाशित कराया जो कि आवेदकगण के पते में विकी नहीं होता है तथा प्रार्थी आवेदकगण को कभी भी वाद की सूचना नजारत या निबंधित डाक से नहीं प्राप्त हुई। यह कि आवेदक सं0–1 को उक्त विभाजनवाद की अफवाहन जानकारी हुई तो न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त विभाजनवाद में प्रतिवादीपत्र दिनांक–13.01.2005 दाखिल किया तथा उक्त तिथि को ही एकपक्षीय सुनवाई के आदेश दिनांक–16.02.2004 को वापस लेने का आवेदन दिया। तत्पश्चात् आवेदक सं0–1 का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया और वाद एकपक्षीय आदेश के लिए निश्चित किया गया। यह कि दिनांक–24.03.2005 को विभाजनवाद सं0–72/2003 में प्रार्थी आवेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित हुआ, जिसकी जानकारी आवेदक सं0–2 एवं 3 को आवेदक सं0–1 से हुई, तत्पश्चात् आवेदकगण प्रस्तुत विविध वाद दाखिल करते हैं। यह कि विभाजन वाद 72/2003 में आवेदकगण प्रतिवादी सं0–1 से 3 थे, के विरुद्ध न्यायालय में समर्पित तामिला प्रतिवेदन गलत है तथा न्यायालय को धोखा देकर उक्त वाद को एकपक्षीय सुनवाई के लिए निश्चित कराया गया है। यह कि विभाजन वाद 72/2003 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक–24.03.2005 को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी आवेदकण को अपूर्णीय क्षति होगी। यह कि यदि विभजानवाद सं0–72/2003 में पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लिया जाता है तो उक्त वाद के वादीगण को कोई क्षति नहीं होगी। यह प्रार्थना की गई कि विभाजनवाद सं0–72/2003 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक–24.03.2005 को निरस्त करते हुए विभाजनवाद सं0–72/2003 के मूल अभिलेख में पदस्थापित किया जाए।

विपक्षी प्रथम पक्ष का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि अवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद पोषणीय नहीं है। यह कि इस विविध वाद के विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा विभाजन वाद सं0–72/2003 दाखिल किया गया था, परन्तु विपक्षी सं0–7 से 19 के द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया था। साथ ही विपक्षी सं0–4 से 6 एवं आवेदकगण के विरुद्ध दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशन कराया गया था। साथ ही नजारत व डाक सम्मन का तामिला विपक्षीगण एवं आवेदकगण के विरुद्ध कराया गया था। यह कि आवेदकगण को एकपक्षीय आदेश दिनांक–24.03.2005 जो मूल हकियत वाद में पारित किया गया था, पूरी जानकारी थी। यह कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को कभी धोखे में नहीं रखा गया। यह कि आवेदकगण आदतन डिफॉल्टर है तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, यदि आदेश दिनांक–24.03.2005 को वापस लिया जाता है। बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि

F.D-72/03
misc-05/05

04-03-22
नजारत

मूल विभाजन वाद 72/2003 में पारित निर्णय से आवेदकगण को कोई क्षति नही होगी और उनको, उनका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा।

प्रस्तुत विविध वाद 05/2005 तथा विभाजन वाद 72/2003 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि विभाजन वाद 72/2003 के प्रतिवादी सं0–1 से 3 के द्वारा विविध वाद 05/2005 दाखिल किया गया है तथा विभाजन वाद 72/2003 के सभी पक्षकारों को विविध वाद 05/2005 में भी पक्षकार बनाया गया है। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि यदि प्रतिवादी पर सम्मन का विधिवत तामिला नहीं हो पाया है अथवा किसी उचित करण के द्वारा प्रतिवादी सुनवाई पर उपस्थित नहीं हो पाया हो तो न्यायालय अपने संतुष्टि पर इस एकपक्षीय आदेश को खारिज कर सकती है। विभाजन वाद सं0 72/2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–05.05.2003 को प्रतिवादीगण के उपर नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें बाद में नजारत व डाक तामिला दाखिल किया गया। दिनांक–16.02.2004 को अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरुद्ध गजट प्रकाशन के भाग को दाखिल किए जाने के पश्चात् विचारण एकपक्षीय किया गया। उसके पश्चात विभाजन वाद में वादी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया। दिनांक–13.01.2005 को प्रतिवादी सं0–1 की ओर से हाजरी, बयान तहरीर तथा एक आवेदन एकपक्षीय कार्रवाई को वापस लेने का दिया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक–10.03.2005 को यह आदेश पारित किया गया कि अखबार में प्रकाशन के उपरांत एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हुआ है और वादी का साक्ष्य समाप्त हो चुका है और पत्रावलि तर्क हेतु नियत है एवं उक्त आधार पर प्रतिवादी सं0–1 नित्यानन्द सिंह के एकपक्षीय कार्रवाई को वापस लेने का आवेदन खारिज किया गया तथा दिनांक–24.03.2005 को न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। विभाजन वाद 72/2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0–1 नित्यानन्द सिंह के एकपक्षीय कार्रवाई को वापस लेने के आवेदन को न्यायालय द्वारा खारिज करने के पश्चात् उक्त आदेश दिनांक–10.03.2005 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा उच्चतर न्यायालय में अपील नहीं किया गया जो विविध वाद के आवेदकगण की मंशा को प्रदर्शित करता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक–24.03.2005 बंटवारा वाद 72/2003 में विविध वाद के आवेदकगण के विरुद्ध पारित किया गया एवं वाद को फाइनल डिक्री हेतु अग्रसारित किया गया। यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि मूल बंटवारा वाद 72/2003 में वादीगण द्वारा 1/4 हिस्से के प्रारम्भिक डिक्री हेतु मांग की गई है तथा पारित एकपक्षीय आदेश से आवेदकगण के हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कि मूल विभाजन वाद 72/2003 में एकपक्षीय कार्रवाई को वापस लेने का आवेदन सिर्फ प्रतिवादी सं0–1 अर्थात विविध वाद के आवेदक सं0–1 द्वारा दाखिल किया गया था, जबकि विविध वाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रतिवादी सं0–1 से 3 द्वारा दाखिल किया गया है। यह कि आवेदकगण द्वारा इस तथ्य को प्रदर्शित नहीं किया जा सका है कि आवेदकगण के विरुद्ध नोटिस का तामिला विधिवत नहीं हो पाया था और ना ही आवेदकगण ने अपनी अनुपस्थिति हेतु कोई उचित कारण प्रस्तुत किया। उक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि प्रस्तुत विविध वाद 05/2005 पोषणीय नहीं है क्योंकि आवेदकगण द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रावधान को साबित नहीं किया जा सका है। अतः प्रस्तुत विविध वाद 05/2005 खारिज किया जाता है।

दिनांक– 11.03.2022 वास्ते अग्रतर कार्रवाई फाइनल डिक्री 72/2003 में।

Amrendra Prasad
04/03/2022
अवर न्यायाधीश